पी/मंगन

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

218/2016/7558 रामकरण V/s मूला

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर R-1, 2, 3/4 उप.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री रामसुख चौधरी श्री रविकिशन अरोड़ा – 4 LAR 2, 3	

रामकरण वगैरह बनाम मूला वगैरह(218/2016)

13/12/22

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 06.12.2022 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपील में अंकित आराजीयात के सम्बन्ध में आवंटन अधिकारी, द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरूद्ध अपीलांट के पिता स्वर्गीय चतुर्भुज पुत्र अमरा के द्वारा अपील संख्या 151/1980, 152/1980, 153/1980 बउनवानी चतुर्भुज बनाम मोतीलाल, सुवालाल व मूला एवं अन्य प्रस्तुत की थी जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 03.02.1981 को होने के सम्बन्ध में उपरोक्त उनवानी अपील संख्या 2017/2016 के अभिभाषक द्वारा न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.11.2022 को जवाब मयाद प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. प्रस्तुत करने के पश्चात प्रार्थीगण/अभिभाषक द्वारा दिनांक 15.11.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.1981 की प्रमाणित प्रलिपिति आवेदन कर दिनांक 17.11.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर जानकारी हुई है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पूर्व में प्रार्थीगण के पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष अपीले प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय द्वारा निर्णित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.1981 के विरूद्ध प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुतोष प्राप्ति हेतु आवेदन के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए उपरोक्त अपील प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध हैकि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील सशर्त प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान करवाने की कृपा करवायें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या **04**ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष समान मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरूद्ध वर्तमान अपीलांट के पिता द्वारा संस्थित पूर्ववर्ती तीनों अपीले क्रमशः अपील संख्या 151/1980, 152/1980, 153/1980 बउनवानी चतुर्भुज बनाम मोतीलाल, सुवालाल व मूला एवं अन्य प्रस्तुत की थी जिसे दिनांक 03.02.1981 की जानकारी उक्त निर्णय के रोज से वर्तमान अपीलांट को होना मानी जायेगी, क्योंकि उक्त अपीलें उसके पिता द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी एवं पूर्ववर्ती निर्णय दिनांक 03.02.1981 से वर्तमान अपीलाट प्रश्नगत अपील समान मूल आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करने से पूर्णतया विबंधित है तथा उक्त पूर्ववर्ती निर्णय से जब अपीलांट के पिता को ही मूल आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त नहीं की गई है तो ऐसी विधिक स्थिति में प्रश्नगत विचाराधीन अपील में पूर्ववर्ती अपीलो के विरूद्ध चाराजोही करनी की स्वतंत्रता कानूनन प्रदत्त नहीं की जा सकती है इसलिए प्रश्नगत अपील को साधारण तौर पर विड्रो करने की अनुमति प्रदत्ता की जाना न्यायोचित है न कि सशर्त विड्रो की अनुमति दी जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय के समक्ष वर्ष 2016 से लगभग 06 वर्ष तक उक्त अपीले विचाराधीन रखने के उपरान्त न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए वांछित अनुतोष चाहा गया है जो देय योग्य नहीं है। अपील माननीय न्यायालय से दिनांक 03.02.1981 को निरस्त होने के उपरान्त तथ्यों को छिपाते हुए न्यायालय के समक्ष पुनः प्रस्तुत की गई एवं अपील के साथ मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपील प्रत्याहरण की अनुमति उचित दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण को आवंटन आदेश दिनांक 30.11.1975 की अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलांटस को पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

218/2016/75 रामकरण V/S मूला

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2016/00218 स्पाे ¼ नि ¼ अनु० श्री-श्री रामसुख चौधरी P.O. श्री-श्री राकेश अरोडा-4, आज-2/3	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
लगातार...	में कोई जानकारी नही थी। उक्त तथ्य की जानकारी अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र से हुई है प्रार्थी का अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई दुभार्वना नही रही है इसलिए न्यायहित में 2,000 रूपये कोस्ट पर सशर्त प्रत्याहरण की अनुमति दिया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अपील प्रत्याहरण की अनुमति हेतु को 2,000/-रूपये कोस्ट पर सशर्त प्रत्याहरण की अनुमति दी जाती हैं** । अभिभाषक अपीलांट उक्त कोस्ट अभिभाषक रेस्पोडेन्टस को देगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजेन्द्र सिंह शेखावत) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	